

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ. 4(1)(1)/नपा/रानिआ/2024/7151

दिनांक: 25.08.26

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), (नगरपालिका) पाली।

विषय :- नगरीय निकायों के चुनावों की घोषणा के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 1046 दिनांक 24.08.2026

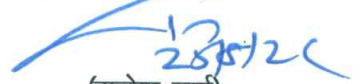
महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से अवगत कराया है कि जिले में जैन समाज की महत्वपूर्ण संख्या निवास करती है। दिनांक 09 सितम्बर, 2026 को जैन समाज का पर्युषण महापर्व होने के कारण समाज के अनेक मतदाता धार्मिक अनुष्ठानों एवं कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। ऐसी स्थिति में संबंधित मतदाताओं को मतदान करने में कठिनाई होने की संभावना है, जिससे मतदान प्रतिशत प्रभावित हो सकता है। पाली नगर निगम का मतदान दिनांक 11 सितम्बर, 2026 को कराने से पर्युषण महापर्व के कारण उत्पन्न होने वाली संभावित कठिनाईयों से बचा जा सकेगा तथा सभी वर्गों के मतदाताओं को अपने मताधिकार का स्वतंत्र एवं सुगम रूप से प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होगा।

अतः व्यापक जनहित एवं अधिकाधिक मतदाताओं की मतदान में सहभागिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से पाली नगर निगम के मतदान की निर्धारित तिथि 09 सितम्बर, 2026 में परिवर्तन करते हुए दिनांक 11 सितम्बर, 2026 को मतदान कराये जाना बाबत निवेदन किया है।

आयोग द्वारा आपके प्रस्तावनुसार पाली नगर निगम के मतदान की निर्धारित तिथि 09 सितम्बर, 2026 में परिवर्तन करते हुए दिनांक 11 सितम्बर, 2026 को मतदान कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,



(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

दिनांक : 25-08-26

क्रमांक:एफ. 4(1)(1)/नपा/रानिआ/2024/7152-60

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. प्रमुख शासन सचिव, वित्त (वित्त मार्गोपाय) विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. प्रमुख शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
6. आयुक्त श्रम विभाग, जयपुर, राजस्थान।
7. रिटर्निंग अधिकारी, मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी पाली।
7. समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल एवं राज्यीय दल, राजस्थान।
8. एनालिस्टर-कम-प्रोग्रामर राज्य निर्वाचन आयोग, समस्त संबंधित को ई-मेल कराने एवं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।



उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग